[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

अथवा अन्य खाने-पीने वाली वस्तुओं के ठेकेदार यात्रियों के साथ अशोभनीय व्यवहार करते हैं। मामूली सी बात पर यात्रियों को बेइज्जती ही नहीं बल्कि गाली-गलोज व पिटाई कर देते हैं। इनमें कुछ ठेके उन लोगों को दिए गए हैं जो उन्हीं शहरों के नामी गुंडे व बदमाश हैं। कैटरिंग व केन्टीन के कारोबार से उनका कोई सम्बंध भी नहीं है। वे फल व मिसलेनियस सामान, चाय, सुराही, अन्य पेय पदार्थ इत्यादि गरीबों से बिकवाते हैं और उनका शोषण करते हैं। वाराणसी व मुगलसराय इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वाराणसी व मुगलसराय के ठेकेदारों की अब तक सैकड़ों शिकायतें हुई। सुनने में आया है कि यहां के फल का ठेका लगभग दो वर्ष पूर्व समाप्त हो गया है। फिर भी अधिकारियों की मिली-भगत के कारण 6-6 महीना करके बढ़ा दिया जाता है। यहां कोई सामान अच्छा नहीं मिलता। यात्रियों का विश्वास वाराणसी तथा मुगलसराय स्टेशन पर बिकने वाले सामानों से उठ चुका है। पटना और आसनसोल की भी यही कहानी है।

अतः मैं इस संबंध में रेल मंत्रालय से चाहूंगा कि तुरन्त इन ठेकेदारों व इनके सामानों की जांच कराई जाये। ठेके गलत लोगों के हाथ से लेकर गरीबों, बेरोजगार युवकों, हरिजनों को दिए जायें और उन्हें यह निर्देश दिया जाये कि वे यात्रियों की सुख-सुविधा व उनकी इज्जत और यात्रा की सुरक्षा कर अपने व्यवसाय के साथ-साथ यात्रियों की सुख-सुविधा का भी पूर्ण ध्यान रखें।

(ix) Need for enacting Central legislation to govern employment conditions of agricultural workers

SHRI NIRMAL SINHA (Mathurapur): As the process of production in agricultural field is being converted from feudal to capitalist more and more bargadars are being evicted from the lands and for the increase of price of commodity, fertilisars, pesticides and deprival of profitable price of agricultural products, the small landholders are losing their lands and thus becoming landless agricultural workers. The failure of enactment of land reforms by most State Governments aggravated the situation. Besides this, unemployment, lockout, lay-off and closure of factories added fuel to the explosive situation. The number of working days per year for them are declining. At present there is no law in the country to protect their interests except the Minimum Wage Act of 1948. Whatever the minimum wages have been fixed by the State are very low with the exception of West Bengal, Tripura and Kerala. All the conditions exist despite the fact that the Government of India has ratified the I.L.O. Conventions on minimum wages, equal pay and organisation of rural workers. Under these circumstances the All India Agricultural Workers' Union and B.K.M.U. called for an all-India one day strike on 15th July, 1983 for a legislation from the Union Government regarding the protection of existence of the agricultural labourers who live much below the poverty line. Therefore, I urge the Government to bring forward a central legislation to govern the conditions of employment of agricultural workers and pass the Second Land Reform Bill of West Bengal Government immediately.

15.44 hrs.

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—Contd.

MR. CHAIRMAN : We now take up the legislative work. Shri Ram Singh Yadav was on his legs. You have already taken 18 minutes. Therefore, I request you to now finish.

SHRI RAM SINGH YADAV (Alwar):

The matter is of national importance. You are quite aware of it.

MR. CHAIRMAN : I know. But you please try to conclude now.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत, जिसका कि देश के बहुत बड़े भू-भाग से सम्बन्ध है, मदन के लिए एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात होगी कि देश के अन्दर 30-9-82 तक केवल 3 लाख के करीब गांव विद्युतीकरण योजना में आए हैं जबकि देश के अन्दर करीब 6 लाख गांव हैं। इस प्रकार से देश में अभी तक केवल 52 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो सका है लेकिन सब से बड़ी खेद की बात यह है कि जो हमारी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की लोकेलिटीज हैं या ग्राम हैं, उन में से केवल एक लाख गांवों और लोकेलिटीज को हम बिजली दे सके हैं।

ऐसी परिस्थितियों में जबकि सारे देश का केवल 52 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है, उसमें हरिजन बस्तियों या अनुसूचित जनजातियां जैसे भील और दूसरे लोगों—के गांवों में केवल 16-17 परसेंट गांवों में ही विद्युतीकरण हो सका है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देकर जो हमारा लक्ष्य है और जिसको हमने बीस सूत्री कार्यक्रम में भी रखा है उसको पूरा करने के उपाय करेंगे और यह भी हमें बतायेंगे कि इस क्षेत्र में हम अब तक क्यों पीछे रहे हैं और हमारी सरकार अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या उपाय काम में ला रही है ?

सभापति महोदय, विस्मयकारी चीज यह है कि हमारे देश में कृषि से 80 प्रतिशत लोग अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। अर्थात् देश में 80 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवन-यापन के लिए कृषि पर आधारित है। किन्तु हमारे देश में जितना विद्युत उत्पादन होता है उसका केवल 16.23 प्रतिशत भाग ही कृषि के लिए दिया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को उसका 59.68 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। इसके साथ-साथ डोमेस्टिक, कमर्शियल और दूसरे सभी क्षेत्रों में 20.57 प्रतिशत भाग विद्युत का दिया जाता है। रेलवे ट्रांसपोर्ट और दूसरे ऐसे क्षेत्रों के लिए 2.74 प्रतिशत भाग दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम एक ओर ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करते हैं, जहां एक ओर हम किसानों के कुओं को एनरजाइज करना चाहते हैं वहां पर आपके महकमे की प्रगति यह है कि देश के कुल विद्युत उत्पादन का केवल 16.23 प्रतिशत हिस्सा ही खेती पर खर्च किया जाता है। मैं देख रहा हूं कि 1980 से लेकर यह प्रतिशत ही लगातार चला आ रहा है, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जबकि जो आपके आकड़े हैं वे कहते हैं कि 30-9-82 तक 47 लाख 40 हजार 339 पंपिंग सेट्स को एनरजाइज किया है। किन्तु ग्रामीण विद्युतीकरण का जो प्रतिशत है वह पिछले तीन सालों में नहीं बढ़ा है बल्कि वह नीचे गिरा है। 1980 में ग्रामीण विद्युतीकरण का 16.54 प्रतिशत था वह 1982 में 16.23 प्रतिशत रह गया है। इसलिए इस ओर भी खासतौर से आपको सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति जी, जहां तक हमारी सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी का प्रश्न है, इसने जो काम किये हैं उनकी मैं खुले दिल से प्रशंसा करना चाहता हूं। वास्तव में इसने एक लोंग टर्म प्लानिंग की है और देश के सामने नेशनल पावर ग्रिड एण्ड

[श्री राम सिंह यादव]

इलैक्ट्रिक सिस्टम प्लानिंग रखी है जिसकी बड़ी खुशी है। मेरा यह निवेदन है कि इस नेशनल पावर ग्रिड एण्ड इलैक्ट्रिक सिस्टम प्लानिंग के कार्य को आगे बढ़ाया जाए।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी की जो रिपोर्ट है उसके पेज 32 से मैं उद्धृत कर रहा हूं—

"In consonance with the decision of the Government accepting in principle the need for a centrally owned national electric system, proposals for the creation of national power grid have been framed by the Central Electricity Authority. As a first step towards the implementation of these proposals, certain key transmission projects were identified to be taken up for execution in the central sector. These transmission projects are scheduled to be completed within a period of about 5—6 years and to be executed by the existing central organisations."

सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ने देश के सामने जो एक नया प्रस्ताव रखा है कि एक नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम हो जिससे कि सेन्ट्रली प्रोडक्शन हो और उसी एक सेन्टर के के माध्यम से हम बिजुत का वितरण करें। इस पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के सुझाव पर जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति जी, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने पावर सिस्टम के बारे में स्माल हाइड्रो डेवलपमेंट के बारे में कहा है। आज हमारा तजुरबा है कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, खासतौर से जो इंटरस्टेट प्रोजेक्टस हैं उनमें दूसरे स्टेट का ड्यू हिस्सा नहीं दिया जाता है। इससे तनाव की स्थिति पैदा होती आई है। इसलिए स्माल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। इस ओर जो कार्य किया गया है वह प्रशंसनीय है। इसी में से मैं उद्धृत करना चाहूंगा —

"Small hydro projects are rather distinct from conventional larger HE projects. Lesser gestation period and simplicity in project lay-outs, equipment operation and maintenance are their attractive features. Expeditious exploitation of such schemes has been attracting the attention of CEA for quite some time."

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्माल हाइड्रो प्रोजेक्टस लगाए जाने चाहिएं। खासतौर से राजस्थान में राजस्थान नहर पर जिन स्थानों को आईडिएंटीफाई किया गया है, उनके बारे में जो स्कीम्स प्लानिंग कमीशन में पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको शीघ्र निकलवाने की कोशिश की जाए।

अंत में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रांत राजस्थान में बिजली की प्रतिदिन की आवश्यकता 200 लाख यूनिट है और एवलैबिलिटी 139 लाख यूनिट प्रतिदिन है। इस कमी की पूर्ति के लिए, खासतौर से सितंबर से अप्रैल तक किसान के लिए और उद्योग धंधों के लिए बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको अभी से गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ में फिर एक बार कहूंगा कि आप देश के अंदर नेशनल इलैक्ट्रीसिटी सिस्टम के लिए काम करें। नेशनल पावर ग्रिड स्थापित करें। विद्युत योजना के अंतर्गत अभी तक जो 52 प्रतिशत

गांव आए हैं इनको और अधिक बढ़ाएं। हरिजन और अनुसूचित जातियों के एक लाख गांवों को बिजली दी गई है, इसमें भी उसी रेशो से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपकी चल रही है, गति देने का प्रयत्न करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*SHRI S. T. K. JAKKAYAN (Periyakulam) : Mr. Chairman, Sir, on behalf of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, to which I have the honour to belong, I wish to say a few words on the Electric Supply (Amendment) Bill.

At the very outset I would like to say that this is a very feeble legislative attempt, particularly when all the State Electricity Boards are working under tremendous pressure and at terrific losses. In this House we nave discussed about the mal-functioning of the Electricity Boards in the country. In this background, the objectives of this Bill may not be possible of achievement. How can the Centre expect the State Government to ensure that the Electricity Board shows an annual surplus of 3%, that the priorities for the investment of the Board should be re-arranged, that they should be run on the lines of commercial undertakings and that their accounts should be maintained in the form to be prescribed by the Central Government ? It is just like a lame-man wishing to take honey from the bee-hive directly. I wonder at the compulsions of the hon. Minister for bringing this kind of a Bill.

Sir, it is common knowledge that the Thermal units in the country are utilising only 40% of the installed capacity. That is because the coal supplied to these Thermal Units contain high ash-content, about which the hon. Minister is fully aware of. In Tamil Nadu there is no water for hydro-electric projects. Besides there is the Cauvery water problem. The failure of monsoon has further added problems. How do we expect the Electricity Board to keep up its commitment of supply ? Besides, power is stolen by vested interests. There is also heavy transmission loss, which in almost all the States runs to 25%. The copper wire is stolen. When it is replaced by aluminium wire, that is also pinched. The Electricity Board has to face with all such contingencies.

In addition to this, the Central Public Sector undertakings, the State public Sector undertakings, as also the private industrial undertakings do not pay the electricity charges at the proper times ; they delay inordinately the payment. If the Electricity Board decides to have computer for modernising its working, immediately the staff starts agitation and there is also the possibility of unemployment being created.

The Government of Tamil Nadu took certain steps for augmenting the generation capacity. The State Government wanted to import high-grade coal from Australia for the thermal units. The Centre did not permit this. Then the State Government wanted to acquire ships so that coal from the northern belt can be brought expeditiously to South. The Centre refused permission to this also. Then the State Government wanted to import essential equipment for better functioning of the Thermal Units. The Centre has not approved this proposition also. Now, before the chorus of praise at the start of generation of atomic power in Kalpakkam Atomic Plant subsided, the generation has come to a grinding halt due to some faults in the plant. In these circumstances, how can the State ensure that the State Electricity Boards show a surplus of 3% annually ?

In 1971 the hon. Prime Minister gave a solemn assurance in a public meeting that the power produced in Kalpakkam Atomic Plant would be given exclusively to Tamil Nadu. I demand that this assurance of the hon. Prime Minister should be implemented without any reservation. Sir, the first phase of Super

*The Original speach was delivered in Tamil.

[Shri S. T. K. Jakkayan]

Thermal Station at Tuticorin has not started functioning properly. Tamil Nadu cannot have any more Thermal Stations or Hydel stations because of coal and water problem respectively. In this background, I demand that the new Super Thermal Station proposed to be set up in the Southern region should be given to Tamil Nadu. I would also request the hon. Minister to take back this Bill and bring forward a comprehensive Bill which will ensure better functioning of Electricity Board and fuller utilisation of installed capacity for generating power. With these words I conclude my speech, expressing my gratitude to you for this opportunity.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूमराय) : सभापति महोदय, 1948 में सबसे पहले राज्य विद्युत बोर्डों की स्थापना के लिए विधेयक बनाया गया था और उसका उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार का घाटा बोर्डों को न हो। मतलब यह कि नो लास बेसिस पर, नो लास कंसेप्ट पर विद्युत प्रदाय संस्थान बनाए गए थे। बोर्डों के कार्यकरण, उनके कृत्य, वित्तीय अनुपालन और लेखा आदि सभी उस कानून के ढांचे के अन्दर आते थे। 1978 में पुनः एक बार इस विधेयक में संशोधन आया था। उसका उद्देश्य भी यही था कि बिजली बोर्ड जो राज्यों के अन्दर हैं उनमें सरपलस बिजली का उत्पादन हो। आज मंत्री महोदय 1983 में फिर इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं सदन के अन्दर और उनका उद्देश्य ऐसा करने का यही है कि हर एक राज्य में बिजली बोर्ड में जो बिजली का उत्पादन हो वह मिनिमम तीन प्रतिशय सरपलस होना चाहिये। मुझे पता नहीं मंत्री महोदय अपने इस उद्देश्य में कहां तक सफल होंगे। लेकिन उनकी मंशा साफ है कि बिजली बोर्डों का कार्यकलाप जो है उस में सुधार हो। विद्युत प्रदाय संस्थानों के बारे में कुछ विशेष न कह कर मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं थोड़े से शब्दों में कि हमारे प्रांत में जो बिजली बोर्ड है उसको आप देखें। उस बोर्ड की स्थिति और विद्युत ताप केन्द्रों के बारे में वहां सिर्फ यही बात कही जाती है कि उसके कारण बिहार में विद्युत की गम्भीर स्थिति बनी हुई है और उसका कार्य निष्पादन घटिया किस्म का है। दूसरी बात यह है कि जितना भी बिजली का संकट अभी वहा है उतना किसी भी अन्य राज्य में नहीं है और मैं ही यह नहीं कह रही हूं, मंत्री महोदय ने भी दो चार दिन पहले इस बात को स्वीकार किया था।

अभी इन्होंने प्रयास किया है, उत्तरी क्षेत्र से लेकर इन्होंने बिहार में बिजली दे दी है लेकिन फिर भी वहां की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है क्योंकि वहां पर सिस्टम, कुछ ऐसा है कि बिजली ग्रहण करने की शक्ति उसमें नहीं है या क्षमता नहीं है। इसके लिये उन्हें सबसे पहले ट्रांसमीशन लाइन को मजबूत करना होगा और वितरण प्रणाली में सुधार लाना होगा।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेना चाहेंगी ?

श्रीमती कृष्णा साही : आप मुझे 10 मिनट भी नहीं देंगे ? एक तो महिला सदस्य कम बोलती हैं,

सभापति महोदय : मैं आपको 10 मिनट पूरे देना चाहता हूं, इसीलिये आपसे पूछ रहा हूं। अब आप जरा बैठ जाइये, गृह-मंत्री जी का स्टेटमेंट हो जाने दीजिये। आपको मैं पूरा समय देना चाहता हूं, आप नाराज क्यों है ?